

, स्पीड पोस्ट/ई-मेल

संख्या-6/एफ1-09/2025 श्र0सं0-

बिहार सरकार

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग (श्रम पक्ष)

प्रेषक,

मनीष कुमार,
उप श्रमायुक्त।

रोवा में,

जिला पदाधिकारी,
अरवल/मधुबनी/नालन्दा/पटना/दरभंगा/समस्तीपुर/शिवहर एवं सिवान।

पटना, दिनांक-

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2025-26 में मुख्य शीर्ष-2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास-उप मुख्य शीर्ष-01-श्रम-114-उत्प्रवासी श्रम कल्याण-मांग संख्या-26-उपशीर्ष-0102-अन्तर्राज्यीय प्रवासी मजदूरों के पुनर्वापसी पर व्यय, विपत्र कोड-26-2230011140102 (सामान्य श्रेणी) एवं विपत्र कोड-26-2230017890103 (अनुसूचित जाति) के अन्तर्गत CFMS 2.0 Software से निर्गत किये गये आवंटन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग से प्राप्त दिशा निर्देश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025-26 में सहायक अनुदान-गैर वेतन मद में प्राप्त बजट उपबंध के विरुद्ध CFMS2.0 Software से निर्गत किये गये आवंटन का विवरण निम्नवत है:-

2. सामान्य कोटि (विपत्र कोड-26-2230011140102) के मृत प्रवासी श्रमिकों के वैध आश्रितों को विषय शीर्ष-31.06 सहायक अनुदान गैर वेतन मद में भुगतान के लिए रूपये ₹ 1,00,000/-मात्र एवं रूपये ₹ 2,00,000/-मात्र प्रति मृत प्रवासी श्रमिक की दर से आवंटित अनुदान की राशि का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र० सं०	जिला का नाम	मृतकों की संख्या	आवंटित राशि (रु)	(अभ्युक्ति) मृतक का नाम एवं पता
1	अरवल	01	2,00,000 / -	जिला पदाधिकारी, अरवल के ज्ञापांक-39, दिनांक-17.01.2026 के आलोक में। (1) मृतक-स्व० अरविंद कुमार, पिता-कामेश्वर सिंह, आश्रित-स्वेता कुमारी (पत्नी), ग्राम-श्रीनाम बिगहा, पोस्ट+थाना-शहरतेलपा, प्रखंड-करपी, जिला-अरवल।
		01	2,00,000 / -	जिला पदाधिकारी, अरवल के ज्ञापांक-42, दिनांक-17.01.2026 के आलोक में। (2) मृतक-स्व० नरोत्तम कुमार शर्मा, आश्रित-श्री धनंजय शर्मा (पिता), गा०+पो०+था०-वंशी, प्रखंड-सोनभद्र वंशी सूर्यपुर, जिला-अरवल।
2	मधुबनी	01	1,00,000 / -	जिला पदाधिकारी, मधुबनी के ज्ञापांक-64, दिनांक-12.01.2026 के आलोक में। (1) मृतक-स्व० विनायक यादव, आश्रित-गीता देवी (पत्नी), ग्राम-दोमहन, पो०+पं०-नरेंद्रपुर, थाना-अंधारामट, प्रखंड-लौकही, जिला-मधुबनी।

3	नालन्दा	01	2,00,000/-	अपर समाहर्ता, नालन्दा के ज्ञापांक-127, दिनांक-15.01.2026 के आलोक में। (1) मृतक-स्व० बिट्टू बिन्द, पिता-राजबलम बिन्द, आश्रित-कारी कुमारी (पत्नी), ग्राम-सलेमपुर, पोस्ट-ननौरी, पंचायत-बेरथु, प्रखंड-करायपरसुराय, जिला-नालन्दा।
4	पटना	01	2,00,000/-	जिला पदाधिकारी, पटना के ज्ञापांक-170, दिनांक-16.01.2026 के आलोक में। (1) मृतक-स्व० जितेन्द्र प्रसाद, आश्रित-पिंकी देवी (पत्नी), ग्राम-पूर्वी सकसोहरा, बेलछी, थाना-सकसोहरा, प्रखंड-बेलछी, जिला-पटना।
5	दरभंगा	01	2,00,000/-	जिला पदाधिकारी, दरभंगा के ज्ञापांक-46, दिनांक-08.01.2026 के आलोक में। (1) मृतक-स्व० राजु कुमार यादव, आश्रित-गुड़िया देवी (पत्नी), ग्राम-नयागाव पश्चिम, पोस्ट-नयागाँव, थाना-रैयाम, प्रखंड-केवटी, जिला-दरभंगा।
6	समस्तीपुर	01	2,00,000/-	जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर के ज्ञापांक-166, दिनांक-20.01.2026 के आलोक में। (1) मृतक-स्व० राम बाबू सहनी, पिता-बिहारी लाल सहनी, आश्रित-कविता कुमारी (पत्नी), ग्राम-हरिहरपुर, पोस्ट-करुआ, थाना-चकमेहसी, प्रखंड-कल्याणपुर, जिला-समस्तीपुर।
7	शिवहर	01	2,00,000/-	जिला पदाधिकारी, शिवहर के ज्ञापांक-62, दिनांक-13.02.2025 के आलोक में। (1) मृतक-स्व० बृजकिशोर राय, पिता-कैलाश राय, आश्रित-सुगंधी देवी (पत्नी), ग्राम+पोस्ट -फुलकाँहा, प्रखंड-डुमरी कटसरी, जिला-शिवहर।
		01	2,00,000/-	जिला पदाधिकारी, शिवहर के ज्ञापांक-63, दिनांक-13.02.2025 के आलोक में। (2) मृतक-स्व० शिव दयाल पंडित, पिता-कामेश्वर पंडित, आश्रित-रानी कुमारी (पत्नी), ग्राम-लालगढ़ छावनी, पोस्ट-मुकसुदपुर, प्रखंड-डुमरी कटसरी, जिला-शिवहर।

3. अनुसूचित जाति (विपत्र कोड-26-2230017890103) के मृत प्रवासी मजदूरों के वैध आश्रितों को विषय शीर्ष 31.06 सहायक अनुदान गैर वेतन मद में भुगतान के लिए रु० 1,00,000/-मात्र एवं रु० 2,00,000/-मात्र प्रति मृत प्रवासी श्रमिक की दर से आवंटित अनुदान की राशि का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र० सं०	जिला का नाम	मृतकों की संख्या	आवंटित राशि (रु)	(अभ्युक्ति) मृतक का नाम एवं पता
1	सिवान	01	2,00,000/-	श्रम अधीक्षक, सिवान के पत्रांक-53, दिनांक-15.01.2026 के आलोक में। (1) मृतक-स्व० रवि किशन उर्फ रवि किशन राम, आश्रित-धर्मेन्द्र राम (पिता), ग्राम-बंगरा, उज्जैन, पोस्ट-मियां के भटकन, था०+प्र०-आन्दर, जिला-सिवान।

4. यह राशि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या--2254, दिनांक--02.05.2025 के आलोक में चालू वित्तीय वर्ष--2025-26 में "बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजनान्तर्गत" अनुदान की राशि 2,00,000 /-(दो लाख) मात्र एवं 1,00,000 /-(एक लाख) मात्र प्रति मृतक प्रवासी श्रमिक की दर से, उनके वैध आश्रित को भुगतान हेतु, आवंटित की गयी है।
5. अनुरोध है कि बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना नियमावली, 2008 के तहत जाँच पड़ताल करके राशि का भुगतान किया जाय। भुगतान के पश्चात् इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को ई-मेल/स्पीड पोस्ट द्वारा शीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।
6. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक--256/वि0 दिनांक--26.02.19, पत्रांक--732/वि0 दिनांक--31.07.19 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापांक--2561/वि0 (2) दिनांक 17.04.98 के आलोक में है।
7. अनुरोध है कि इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय। यदि आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है, तो वह अनियमित होगा।
8. अनुरोध है कि आवंटित राशि से हुए व्यय की सूचना विहित प्रपत्र में, आवश्यक टी0भी0 नं0 तथा तिथि के साथ, निकासी के उपरांत, अविलम्ब सक्षम प्राधिकार को निश्चित रूप से उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।
9. विभागीय अधिसूचना सं.--1/आई.एम.एल.--06/2016 श्र.सं.--3023 दि.--14.07.16 के आलोक में लाभुकों को अनुदान की राशि का भुगतान **RTGS (Real Time Gross Settlement)** पद्धति से उनके बैंक खाते में किया जायेगा।
10. अनुरोध है कि आवंटित राशि को, नियमानुसार जाँच कर, उन्हीं मृतक के आश्रित/आंशिक अपंग/पूर्ण अपंग प्रवासी मजदूरों को उपलब्ध कराया जाय, जिन्हें पूर्व में इस हेतु लाभांशित नहीं किया गया हो।
11. यह आवंटन राज्य योजना से संबंधित है।
12. श्रमायुक्त, बिहार, का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह/०

(मनीष कुमार)

उप श्रमायुक्त।

ज्ञापांक: 6/एफ1-09/2025 श्र0सं0- 784

पटना, दिनांक- 12/2/26

प्रतिलिपि:-- सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित कोषागार एवं उप कोषागार पदाधिकारी/संबंधित उप श्रमायुक्त/संबंधित सहायक श्रमायुक्त/संबंधित श्रम अधीक्षक/संयुक्त श्रमायुक्त--सह-वरीय प्रभारी प्रशाखा-01 (श्रम पक्ष) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ तथा आई०टी०मैनेजर, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

2. उपयोगिता प्रमाण-पत्र का संधारण संबंधित योजना शाखा (प्रशाखा-01) द्वारा किया जायेगा।

सभी संबंधित उप श्रमायुक्त, सहायक श्रमायुक्त एवं श्रम अधीक्षक से अनुरोध है कि वे संबंधित जिला पदाधिकारी से सम्पर्क स्थापित कर आवंटित किये गये राशि के विरुद्ध नियमानुसार शत प्रतिशत व्यय करने हेतु अनुरोध करेंगे एवं कृत कार्रवाई से अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत कराने की कृपा करेंगे।

विश्वासभाजन

Signed by Manish Kumar

Date: 12-02-2026 11:35:32

(मनीष कुमार)

उप श्रमायुक्त।